

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ.2(1)()मबावि/आ.क.को./आईसीडीएस/18-19 138266-299 जयपुर, दिनांक:

समस्त उप निदेशक
समेकित बाल विकास विभाग

30-7-18

विषय:- समूह बीमा योजना में शेष रही महिला मानदेय कर्मिकों को भी जोड़ने बाबत।

सन्दर्भ:- निदेशालय का पत्र क्रमांक 94066-98 दिनांक 28.05.2018,
पत्रांक 122565-597 दिनांक 05.07.2018 एवं पत्रांक 128227-259
दिनांक 11.07.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मानदेय कर्मी का आंगनबाड़ी कल्याण कोष के सामूहिक बीमा योजना के तहत विभाग द्वारा जीवन बीमा निगम को राशि जमा करवाई जाती है।

इस कार्यालय को सूचना मिली है कि अभी भी कुछ मानदेय कर्मियों की राशि सामूहिक बीमा योजना के तहत जमा नहीं करवाई जाती है। कृपया इस क्रम में निम्न प्रपत्र में (सभी कॉलमों की पूर्ति करते हुये) सामूहिक बीमा योजना से वंचित मानदेय कर्मी की सूचना भेजना सुनिश्चित करें :-

क्र. स.	परियोजना का नाम	मानदेय कर्मी का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	मोबाइल नम्बर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

उक्त सूचना संकलित कर दिनांक 03.08.2018 से पूर्व ई-मेल आईडी cao.wcd@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित करे। यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि भेजी गई सूचना में मानदेय कर्मियों की पूर्व में जीएसएलआई का कटौति नहीं की गई है, सूचनाओं का प्रमाण पत्र अंकित कर भिजवाये। साथ ही तैयार की गई सूचनाओं को उप निदेशक स्वयं हस्ताक्षर कर भिजवावे।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(1)()मबावि/आ.क.को./आईसीडीएस/18-19 138300-604 जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी राजस्थान।
2. एसीपी (उप निदेशक), कम्प्यूटर अनुभाग को वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।


वित्तीय सलाहकार